28/12/2020	वकील अपीलांट उपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस क्षेत्राधिकार से संबधित प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 व 131 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था, जिसका निर्णय दिनांक 27.08.2019 को हो चुका है। धारा 111 की सुनवाई का अधिकारी क्षेत्र लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर को एवं धारा 111 के तहत सीमा संबधित समस्त विभाग भू–अभिलेख अधिकारी एवं धारा 131 मानचित्र तथा क्षेत्रमिती का संधारण की सुनवाई का अधिकार भू–अभिलेख अधिकारी को है, इस अनुसार धारा 75 में उपरोक्त भू–अभिलेख अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील 75(छ) के तहत आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष अपील होगी, जैसा कि उपरोक्त प्रकरण में अपीलांट ने जो अपील प्रस्तुत की जो श्रीमान के न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नही होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारिज फरमाई जावे। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के कानूनी बिन्दुओ ध्यान मे रखते हुए क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत की गई है। अत रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर प्रकरण में गुणवागुण पर सुनवाई की जावे। वकील उभयपक्षो की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 व 131 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 111 की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर को एवं धारा 111 के तहत सीमा संबधित समस्त विभाग भू–अभिलेख अधिकारी एवं धारा 131 मानचित्र तथा क्षेत्रमिती का संधारण की सुनवाई का अधिकार भू–अभिलेख अधिकारी को है। इस अनुसार धारा 75 में उपरोक्त भू–अभिलेख अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील 75(छ) के तहत आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष अपील होगी। अपीलांट द्वारा उक्त अपील क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो क्षेत्राधिकार से बाहर होने से चलने योग्य नहीं है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारिज की जाती है। अपीलांट चाहे तो उपखंड अधिकारी पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2019 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली